# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

**प्रकरण संख्याः— 128/2018 (रैफरेन्स)**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।

..... **प्रार्थी**

**बनाम**

श्री कृष्णा स्टोन क्रेशर महलपुर काछी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

1. शैलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री मदनलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी कोठी दलवीरसिंह पुलिस लाईन के पास भरतपुर।

.....**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राज0 भू—राजस्व अधि0 1956 आदेश विरूद्ध उपखण्डाधिकारी रूपवास के भूमि रूपान्तरण आदेश 27.5.2002 वास्ते औद्योगिक प्रयोजनार्थ श्री कृष्णा स्टोन क्रेशर महलपुर काछी तहसील रूपवास।

उपस्थित :

1. पैरोकार सरकार
2. श्री दुलीचंद शर्मा वकील अप्रार्थी ।

**निर्णय**

**दिनांक : 20.6.2018**

प्रार्थी तहसीलदार भुसावर (भूमिधारी) द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ख0नं0 837/608 रकबा 10—18 बीघा वाकै ग्राम महलपुर काछी तहसील रूपवास अप्रार्थी के नाम 135, 436 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है अप्रार्थी के इस उक्त खातेदारी रकबा से 3301—2 वर्ग मीटर भूमि रूपान्तरण उपखण्डाधिकारी रूपवास के आदेश दिनांक 27.5.2002 से औद्योगिक प्रयोजनार्थ अप्रार्थी के हक में किया गया था। जिसे भूमि रूपान्तरण नियमों के विपरीत पाये जाने के कारण भूमिधारी की हैसियत से यह रैंफरेंस वास्ते भू सम्परिवर्तन आदेश निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जिसमें अंकित किया है कि विवादित संपरिवर्तित भूमि ख0नं0 837/608 रकबा 10—18 बीघा वाकै ग्राम महलपुर काछी तहसील रूपवास अप्रार्थी के नाम 135, 436 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। जिसकी पुष्टि वर्तमान जमाबन्दी संवत 2070—2073 से होती है। अप्रार्थी की इस खातेदारी भूमि में से 3301—2 वर्गमीटर का उपखण्डाधिकारी रूपवास द्वारा अप्रार्थी के हक में औद्योगिक/कृष्णा प्रयोजनार्थ भूमिरूपान्तरण आदेश दिनांक 27.5.2002 जारी किया गया जो बाद जांच स्टोन क्रेशर प्रयोजनार्थ नियमों के विपरीत पाया गया है और प्रार्थी/तहसीलदार लैण्ड होल्डर की हैसियत से रैंफरेंस प्रस्तुत करने में सक्षम है। उक्त परिवर्तित भूमि में स्थापित स्टोन क्रेशर के उत्तर दिशा के ग्राम महरपुर काछी की आबादी से 700 मीटर की दूरी पर है इसलिऐ यह क्रेशर आबादी से निर्धारित दूरी पर नहीं है। इसके अलावा यह स्टोन क्रेशर T-ZONE (ताजमहल—जोन) के अंतर्गत आता है। मौके पर क्रेशर की चार दिवारी का निर्माण नहीं किया गया है। इस स्टोन क्रेशर पर कन्वेयर टीन शैड व वाटर कम्प्रेशर सिस्टम भी स्थापित नहीं है और न ही क्रेशर के एक तिहाई

भाग में वृक्षारोपण किया गया है। इस स्टोन क्रेशर के संचालित रहने से धूल मिट्टी उडती रहती है जिससे भारी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। तहसीलदार भुसावर द्वारा उपरोक्तानुसार रैफरेंस प्रार्थना पत्र प्रेषित कर निर्धारित मापदण्ड मुताबिक उक्त स्टोन क्रेशर स्थापित नहीं होने के कारण संपरिवर्तन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। अन्त में निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र रैफरेंस स्वीकार किया जाकर आ0ख0नं0 837/608 रकबा 10–18 वीघा वाकै ग्राम महलपुर काछी तहसील रूपवास में स्थिापित श्री कृष्णा स्टोन क्रेशर हेतु उपखण्डाधिकारी रूपवास द्वारा जारी 3301–2 वर्ग मीटर के भूमि रूपान्तरण आदेश दिनांक 27.5.2002 को निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी मय वकील श्री दुलीचंद शर्मा उपस्थित आये। नियत दिनांक को उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये रैफरेंस में अंकित सभी तथ्यों को रिकार्ड एवं मौके से विपरीत होना जाहिर करते हुये अपनी बहस तर्कों में मुख्य कथन किया है कि यह रूपान्तरण उस समय प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मानक पूरे होने पर किया गया है जो आज भी विधिवत है। वर्ष 2007 के संपरिवर्तन नियम इस प्रकरण में लागू नहीं होते है। उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी का भूमि रूपान्तरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पर तत्कालीन तहसीलदार रूपवास व अन्य राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट चैक लिस्ट के आधार पर अप्रार्थी के स्टोन क्रेशर की निर्धारित आबादी क्षेत्र की दूरी से अधिक स्थित होने के कारण ही भूमि का रूपान्तरण किया गया है। इसके अलावा यह रूपान्तरण राज0 भू राजस्व (कृषि से अकृषि में प्रयोजनार्थ) भू सम्परिवर्तन नियम 1992 के तहत उक्त रिपोर्ट के आधार पर किया गया है जो तत्कालीन नियमों के परिपेक्ष्य में बाद जांच नियमानुसार पाये जाने पर ही किया गया है। उनका यह भी कथन है कि अप्रार्थी की स्टोन क्रेशर पर चार दिवारी का निर्माण हो रहा है एवं क्रेशर संचालन में पानी की मात्रा का नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है तथा रास्ते में पानी का छिडकाव भी किया जाता है अन्य जो कथन टीनशैड वाटर कम्प्रेशर सिस्टम एवं वृक्षारोपण की जो अनियमितता प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित की गई है वह मौके के विपरीत है। अप्रार्थी द्वारा पर्यावरण व लोगों के स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुये ध्यान रखते हुये ही स्टोन क्रेशर का संचालन किया जा रहा है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा स्टोन क्रेशर संचालन हेतु राज0 राज्य प्रदूषण बोर्ड के नियम व निर्देशों की पालना की जा रही है। वर्तमान में समस्त विधिक औपचारिकताऐं पूर्ण है तथा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल ने भी कोई एतराज नहीं किया है और ना ही क्रेशर से कोई प्रदूषण होना माना गया है। वास्तव में अप्रार्थी का स्टोन क्रेशर आबादी की निर्धारित दूरी से अधिक दूरी पर स्थित है। तहसीलदार रूपवास के द्वारा रैफरेंस प्रार्थना पत्र में आबादी की गणना खेतों में बसे घरों की जाकर अपने प्रार्थना पत्र में अनियमितता होना अंकित किया गया है जबकि राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप (6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प0. 10(8) राज–6/2001/6 जयपुर दिनांक 28.3.2007 एवं परिपत्र क्रमांक प.9(98) राज.6/2014/1 जयपुर दिनांक 28.4.2016 के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किये गये है। जिसमें दूरी मुख्य आबादी की बाहरी सीमा से गणना योग्य है। ढाणी से दूरी का कोई अर्थ नहीं मुख्य आबादी से दूरी मायने रखती है। उनका यह भी कथन है कि वक्त भूमि रूपान्तरण आदेश तिथि को गांव की मुख्य आबादी से निर्धारित दूरी पर ही मौके पर स्थित होने के कारण ही चैक लिस्ट रिपोर्ट के अनुसार रूपान्तरण किया गया है। जिसमें प्रस्तावित भूमि को आबादी से 1.5 कि0मी0 दूरी पर होना स्पष्ट अंकित किया है। इसके अलावा वकील प्रार्थी का यह भी तर्क है कि जिस आदेश को तहसीलदार ने इस रैफरेंस के मार्फत चुनौती दी है उस आदेश की प्रति भी रैफरेस के साथ संलग्न नहीं की है । बिना रैफरेंसाधीन आदेश के यह रैफरेंस मण्डल को प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। प्राधिकृत अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास के आदेश भूमि रूपान्तरण के विरूद्ध रैफरेंस

प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जावे। अतः प्रस्तुत रैफरेंस प्रार्थना पत्र मौके के विपरीत अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा राजकीय अभिभाषक एवं वकील अप्रार्थी की बहस तर्कों पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा इस प्रकरण में मुख्यतः बिन्दु जो उठाये है वह रूपान्तरित भूमि का आबादी से निर्धारित दूरी पर न होना, मौके पर क्रेशर की चार दिवारी कन्वेयर टीन शैड व वाटर कम्प्रेशर सिस्टम वृक्षारोपण का अभाव एवं क्रेशर से वायु प्रदूषण होना माना है। आबादी भूमि से प्रस्तावित स्थल की दूरी उस समय के प्रावधानानुसार देखी जायेगी न कि वर्तमान प्रावधानानुसार। दौराने रूपान्तरण तैयार की गई चैक लिस्ट में दूरी 1500 कि0मी0 से अधिक अंकित होना अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में कथन किया है। किन्तु जिस आदेश को इस रैफरेंस में चुनौती दी गई है उस आदेश की प्रति ही रैफरेंस के साथ संलग्न नहीं की गई है। ऐसे में जब जिस आदेश को चुनौती दी गई है उस आदेश की प्रति ही संलग्न नहीं है तो रैफरेंस पर कैसे विचार किया जा सकता है। साथ ही राजस्व मण्डल अजमेर को भी ऐसा अपूर्ण रैफरेंस अग्रेषित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2002 में नियमानुसार औपचारिकताऐं पूर्ण कर जारी रूपान्तरण आदेश में अंकित प्रस्तावित भूमि की दूरी पर आज प्रश्नचिन्ह लगाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इस संदर्भ में राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप (6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प0. 10(8) राज–6/2001/6 जयपुर दिनांक 28.3.2007 एवं परिपत्र क्रमांक प.9(98) राज.6/2014/1 जयपुर दिनांक 28.4.2016 के द्वारा भी आबादी की गणना के संबध में स्पष्ट किया है कि आबादी की दूरी की गणना गांव की मुख्य आबादी से होगी न कि गांव की ढाणी अथवा मजरे से। यह दूरी दौराने पारित आदेश के वक्त देखी जानी होती है। यह रूपान्तरण आदेश राज0 भू राजस्व (कृषि से अकृषि में प्रयोजनार्थ) भू सम्परिवर्तन नियम 1992 के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में नियमानुसार निर्धारित तय दूरी होने पर ही उक्त आदेश पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त रूपान्तरण आदेश के परिपेक्ष्य में जो नामान्तरकरण खोला गया है उसे भी अभी तक कोई चुनौती नहीं दी गई है। जहां तक प्रदूषण एवं अन्य मानदण्डों की बात है उसके लिये रैफरेंसकर्ता राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल को लिखने हेतु स्वतन्त्र है । पर्यावरण प्रदूषण संबधी कानून एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 दोनो ही अपने आप पृथक–पृथक सारगर्भित एवं परिपूर्ण कानूनी प्रक्रियाऐं है जिन्हें एक साथ मिला कर देखा जाना विधसम्मत एवं न्यायोचित नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन रैफरेंस विरोधाभासी तथ्यों एवं रैफरेंसाधीन आदेश के अभाव के कारण स्वीकार योग्य नहीं रहता है।

अतः प्रार्थनापत्र रैफरेंस अपूर्ण होने से उपरोक्त विवेचनानुसार इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। तहसीलदार (रैफरेंसकर्ता) रूपवास स्वयं के स्तर पर दूरी संबधी जांच कर दस्तावेजों की पूर्ति कर यदि कोई विरोधाभास पाया जाये तो नये सिरे से कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगें। रैफरेंस प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.6.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

**(ओ0पी0जैन)**
**अतिरिक्त जिला कलक्टर,**
**भरतपुर**